भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4610
21अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

फसलोपरांत प्रबंधन और कोल्ड चेन अवसंरचना

4610. श्री दामोदर अग्रवाल:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री खगेन मुर्मु:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत बागवानी विकास मिशन और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत देश भर में स्थापित कार्यात्मक कोल्ड चेन सुविधाओं की कुल संख्या ओडिशा और झारखंड सहित राज्य-वार कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने ओडिशा सहित देश के प्रत्येक राज्य में ऐसे जिलों या ब्लॉकों की पहचान की है जहाँ फसलोपरांत कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स की अनुपस्थिति के कारण विशेष रुप से फल, सब्जियां, समुद्री खाद्य और डेयरी जैसी खराब होने वाली वस्तुओं का फसलोपरांत काफी नुकसान होता है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विकेन्द्रीकृत कोल्ड स्टोरेज और प्रशीतित परिवहन प्रणालियों में निजी क्षेत्र के निवेश और एफपीओ की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या कोल्ड चेन क्षमता का मानचित्रण करने और इसे स्थानीय मंडी नेटवर्क या कृषि-निर्यात केंद्रों से जोड़ने के लिए किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थापित कोल्ड चेन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत एक घटक योजना - एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना) का कार्यान्वयन कर रहा है। शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत, वर्ष 2016-17 से अब तक देश भर में 169 शीत श्रृंखला परियोजनाएँ पूरी होकर चालू हो चुकी हैं। वर्ष 2016-17 से 30 जून, 2025 तक ओडिशा और झारखंड सहित राज्य देश भर में पूरी हुई और चालू हुई शीत श्रृंखला परियोजनाओं की राज्यवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सहित विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत देश भर में (ओडिशा और झारखंड राज्यों सहित) अब तक (31.01.2025 तक) बनाई गई कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की राज्यवार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है ।

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश भर में ऐसे जिलों या ब्लॉकों की पहचान करने के लिए कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया है, जहां फसल कटाई के बाद कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स की अनुपस्थिति के कारण विशेष रूप से फल, सब्जियां, समुद्री उत्पाद और डेयरी जैसी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का

फसलोपरांत काफी नुकसान होता है।

(घ): पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के तहत, कोई भी स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सहायता प्रदान नहीं की जाती है। हांलाकि, व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं में, कोल्ड स्टोरेज और रीफर वाहनों को अनुदान-सहायता/सब्सिडी प्रदान करने के लिए पात्र मदों के रूप में माना जाता है। कोल्ड चेन योजना मांग आधारित है और पूरे देश में लागू की जा रही है। निजी संगठनों और एफपीओ सहित कोई भी पात्र संस्था मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कोल्ड चेन परियोजना की स्थापना के लिए अनुदान-सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। इस योजना के तहत प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता/सब्सिडी के अधीन, सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और कठिन क्षेत्रों और एससी/एसटी, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों से प्रस्तावों के मामले में 50% की दर से कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड अनुदान-सहायता/सब्सिडी प्रदान की जाती है ।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के आधार पर देश भर में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले शीत भंडारण गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस मांग-आधारित योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पर्वतीय राज्यों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से ऋण-आधारित बैक-एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारण और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी नामक एक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस मांग-आधारित योजना के अंतर्गत, विभिन्न आकार/प्रकार के शीतगृहों/प्याज भंडारणों के लिए निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक की शीतगृह क्षमता वाले शीतगृहों और सीए स्टोर के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से ऋण-आधारित बैक-एंडेड सब्सिडी स्वीकृत की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी प्रचारात्मक गतिविधि योजना के माध्यम से खाद्य मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संबंधी कार्यक्रमों में भी भाग लेता है। इसके माध्यम से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजना - एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना) सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करता है। शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए समय-समय पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रकाशित की जाती है। व्यापक प्रचार के लिए, अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को पत्र सूचना कार्यालय(पीआईबी) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।

(ङ): उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सभी कोल्ड चेन परियोजनाओं का उनकी क्षमताओं के साथ मानचित्र किया है, हालांकि, वे स्थानीय मंडियों और कृषि -निर्यात केंद्रों से जुड़ी नहीं हैं।

(च): कोल्ड चेन योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान, महाराष्ट्र के पालघर जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किसी भी कोल्ड चेन परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले"फसलोत्तर प्रबंधन और कोल्ड चेन अवसंरचना" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4610 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

पीएमकेएसवाई की शुरुआत से अब तक (30.06.2025 तक) कोल्ड चेन योजना के तहत पूरी की गई और चालू की गई कोल्ड चेन परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पूर्ण और चालू परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	असम	-
3.	बिहार	2
4.	छत्तीसगढ	0
5.	गोवा	-
6.	गुजरात	13
7.	हरियाणा	10
8.	हिमाचल प्रदेश	4
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	**झारखंड**	**-**
11.	कर्नाटक	10
12.	केरल	2
13.	मध्य प्रदेश	5
14.	महाराष्ट्र	31
15.	**उड़ीसा**	**3**
16.	पंजाब	11
17.	राजस्थान	9
18.	तमिलनाडु	10
19.	तेलंगाना	7
20.	उत्तर प्रदेश	9
21.	उत्तराखंड	13
22.	पश्चिम बंगाल	5
23.	अरुणाचल प्रदेश	1
24.	मणिपुर	-
25.	मेघालय	-
26.	मिजोरम	-
27.	नागालैंड	1
28.	त्रिपुरा	-
29.	सिक्किम	-
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
31.	चंडीगढ़	-
32.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	-
33.	दिल्ली	-
34.	लक्षद्वीप	-
35.	पुडुचेरी	-
36.	लद्दाख	-
	कुल	**169**

अनुबंध- II

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले"फसलोत्तर प्रबंधन और कोल्ड चेन अवसंरचना" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4610 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एकीकृत बागवानी विकास मिशन सहित विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत देश भर में अब तक (31.01.2025 तक) सृजित कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	31.01.2025 तक निर्मित कोल्ड स्टोरेज की संख्या
1	अंडमान और निकोबार (यूटी)	4
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480
3	अरुणाचल प्रदेश	2
4	असम	43
5	बिहार	316
6	चंडीगढ़(यूटी)	7
7	छत्तीसगढ	130
8	दिल्ली	97
9	गोवा	29
10	गुजरात	1023
11	हरियाणा	386
12	हिमाचल प्रदेश	89
13	जम्मू और कश्मीर	92
14	झारखंड	59
15	कर्नाटक	268
16	केरल	202
17	लक्षद्वीप(यूटी)	1
18	मध्य प्रदेश	320
19	महाराष्ट्र	665
20	मणिपुर	2
21	मेघालय	4
22	मिजोरम	3
23	नागालैंड	5
24	ओडिशा	182
25	पुडुचेरी (यूटी)	4
26	पंजाब	770
27	राजस्थान	190
28	सिक्किम	2
29	तमिलनाडु	188
30	तेलंगाना	116
31	त्रिपुरा	14
31	उत्तर प्रदेश	2488
32	उत्तराखंड	62
33	पश्चिम बंगाल	517
	कुल	**8760**

स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), एमआईडीएच [राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)] और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।